

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) स्वास्थ्य भवन, जयपुर 0141-2221590

क्रमांक : एफ 1()/एनएचएम/लेखा/स्टोर/2019/63 दिनांक :- 03/06/2019

1. समस्त संयुक्त निदेशक,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
4. समस्त लेखाधिकारी, एनएचएम
5. समस्त जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम

विषय :- चिकित्सालयों/कार्यालय के अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी/वाहनों/
नकारा सामग्री के निस्तारण/नष्टीकरण एवं अवधिपार दवाईयों का
निस्तारण के संबंध में।

संदर्भ :- अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक
लेखा/मुख्यालय/नकारा सामान/वाहन/2019/SP-1/दिनांक 30.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय एव संदर्भित पत्र के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक लेखा/मुख्यालय/नकारा
सामान/वाहन/2019/SP-1/दिनांक 30.04.2019 के द्वारा चिकित्सालयों/
कार्यालय के अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी/वाहनों/नकारा सामग्री के
निस्तारण/नष्टीकरण एवं अवधिपार दवाईयो का निस्तारण दिनांक 31.05.2019 तक
पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किये गये थे।


उक्त सबध मे दिनांक 31.05.2019 तक की गयी निस्तारण की कार्यवाही से 3
दिवस मे अवगत करावे।

(विमल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त), एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
जयपुर
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, प.क. एवं मिशन
निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान
जयपुर
4. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
5. निदेशक (जन-स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, जन-स्वास्थ्य, मुख्यालय, जयपुर

7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कार्यालय मे पदस्थापित लेखाधिकारियो/सहायक लेखाधिकारियो को निर्देश दिये जाते है कि अधीनस्थ कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुए अनुपयोगी/रिकार्ड/सामान का निस्तारण शीघ्र कस्वाया जाकर निदेशालय को अवगत करवायें।
8. लेखाधिकारी, एनएचएम समस्त/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
10. रक्षित/आदेश पत्रावली



निदेशक (वित्त), एनएचएम